

अनुसूची 1

विद्यार्थी द्वारा शपथपत्र

निसात कुमार

मैं

(विद्यार्थी का पूरा नाम, नामांकण/पंजीयन/सूचीकरण संख्या सहित)

पुरु/पुत्री/श्री/श्रीमती रवि शर्मा प्रसाद संस्थान का नाम) ACNN

में नामांकण के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराईयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरे विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता / पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
ए) मैं किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ूंगा/पड़ूंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मैं ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होऊँगा/होऊँगी, न उकसाऊँगा/उकसाऊँगी और न ही प्रचार करूँगा/करूँगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मैं विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होऊँगा।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया हूँ और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यस्त किया जा सकता है।

निसात कुमार

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम :

निसात कुमार

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है -- (स्थान) पटना उस तिथि को 17 दिन 01 माह 2019 वर्ष

निसात कुमार

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि ----- माह ----- वर्ष ----- को शपथपत्र की अंतर्वस्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची II

माता-पिता / अभिवावक द्वारा शपथपत्र

मैं, श्री/श्रीमती/

निर्मला देवी
(माता-पिता/अभिवावक का पूरा नाम)

का ACM (संस्थान का नाम) में नामांकन के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त की/किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ी/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरा पाल्य/मेरी पाल्या के विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता / पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
ए) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ेगा/पड़ेगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होंगे/होगीं, न उकसाएंगे/उकसाएंगीं और न ही प्रचार करेंगे/करेंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मेरा पाल्य/मेरी पाल्या विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होंगे/होगीं।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकन से निष्काशित या वंचित नहीं किया गया है और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकन न्यस्त किया जा सकता है।

निर्मला देवी

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम :

निर्मला देवी

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है - (स्थान) पटना - उस तिथि को - दिन 17 - माह 01 - वर्ष 2017

निर्मला देवी

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि ----- माह ----- वर्ष ----- को शपथपत्र की अंतर्वस्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची 1

विद्यार्थी द्वारा शपथपत्र

VIJAY KUMAR

में, (विद्यार्थी का पूरा नाम, नामांकण/पंजीयन/सूचीकरण संख्या सहित)

पुत्र/पुत्री हैं/थीं/थीं SHAKUNTALA SINGH (जिन्हाका नाम) ACNN

में नामांकण के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरे विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता /पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
ए) मैं किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ूंगा/पड़ूंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मैं ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होऊँगा/होऊँगी, न उकसाऊँगा/उकसाऊँगी और न ही प्रचार करूँगा/करूँगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मैं विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होऊँगा।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया हूँ और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषना असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यस्त किया जा सकता है।

Vijay Kumar

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : VIJAY KUMAR

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य है तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है — (स्थान) PATNA उस तिथि को — दिन 17 माह 01 वर्ष 2017

Vijay Kumar

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि — माह — वर्ष — को शपथपत्र की अंतर्वस्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची II

माता-पिता / अभिवावक द्वारा शपथपत्र

SHAKUNTALA SINGH

मैं, श्री/श्रीमती/ (माता-पिता/अभिवावक का पूरा नाम)

VIJAY KUMAR नाम नामांकण/पंजीवन/पूरीकरण (सहित)

का (संस्थान का नाम) ACNN में नामांकण के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त की/किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरा पाल्य/मेरी पाल्या के विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता /पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
ए) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ेगा/पड़ेगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होंगे/होगीं, न उकसाएंगे/उकसाएंगीं और न ही प्रचार करेंगे/करेंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मेरा पाल्य/मेरी पाल्या विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होंगे/होगीं।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया है और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यस्त किया जा सकता है।

Shakuntala Singh

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : Shakuntala Singh

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य है तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है - (स्थान) PATNA उस तिथि को - दिन 17 - माह 1 - वर्ष 2017

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि --- माह --- वर्ष --- को शपथपत्र की अंतर्वस्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची II

माता-पिता / अभिवावक द्वारा शपथपत्र

मैं श्री/श्रीमती/ (माता-पिता/अभिवावक का पूरा नाम) जगरनाथ प्रसाद सिन्हा
(विद्यार्थी का पूरा नाम, नामांकन/संजीवन/गृहीतकरण संख्या सहित) आर्य समाज

का (संस्थान का नाम) ACNN, Patna में नामांकन के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त की/किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरा पाल्य/मेरी पाल्या के विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता /पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
ए) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ेगा/पड़ेगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होंगे/होगी, न उकसाएंगे/~~उकसाएंगी~~ और न ही प्रचार करेंगे/करेंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मेरा पाल्य/मेरी पाल्या विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होंगे/होगी।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकन से निष्काशित या वंचित नहीं किया गया है और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकन न्यस्त किया जा सकता है।

जगरनाथ प्रसाद सिन्हा

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : जगरनाथ प्रसाद सिन्हा

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है - (स्थान) पटना उस तिथि को - दिन 18 माह 01 वर्ष 2017

जगरनाथ प्रसाद सिन्हा

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि --- माह --- वर्ष --- को शपथपत्र की अंतर्वस्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची ।

विद्यार्थी द्वारा शपथपत्र

मैं, AMBEDKAR KUMAR VERMA
(विद्यार्थी का पूरा नाम, नामांकण/पंजीयन/सूचीकरण संख्या सहित)

पुत्र/पुत्री/श्रेणी LATE DEO KUMAR VERMA (संस्थान का नाम) ACNN

मैं नामांकण के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरे विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता /पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
ए) मैं किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ूंगा/पड़ूंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मैं ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होऊंगा/होऊंगी, न उकसाऊंगा/उकसाऊंगी और न ही प्रचार करूंगा/करूंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डिक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मैं विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होऊंगा।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया हूँ और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यस्त किया जा सकता है।

Ambekar Kumar Verma

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : AMBEDKAR KUMAR VERMA

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है -- (स्थान) PATNA उस तिथि को -- दिन 17 माह 01 वर्ष 2017

Ambekar Kumar Verma

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि ---- माह ---- वर्ष ---- को शपथपत्र की अंतर्वस्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची II

माता-पिता / अभिवाक द्वारा शपथपत्र

मैं, श्री/श्रीमती/ SITA VERMA (माता-पिता/अभिवाक का पूरा नाम)

का AMBEDKAR KUMAR PATEL (संस्था/पत्रिका/संस्था सहित)

का ACNN, (संस्था/पत्रिका) TNA में नामांकन के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त की/किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरा पाल्य/मेरी पाल्या के विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता /पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
ए) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ेगा/पड़ेगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होंगे/होगीं, न उकसाएंगे/उकसाएंगीं और न ही प्रचार करेंगे/करेंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मेरा पाल्य/मेरी पाल्या विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होंगे/होगीं।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकन से निष्काशित या वंचित नहीं किया गया है और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकन न्यस्त किया जा सकता है।

Sita Verma

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : SITA VERMA

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य है, तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है -- (स्थान) PATNA उस तिथि को -- दिन 17 माह 01 वर्ष 2017

Sita Verma

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि ----- माह ----- वर्ष ----- को शपथपत्र की अंतर्वस्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची ।

विद्यार्थी द्वारा शपथपत्र

में ना (श्री/श्री/श्री) कुमार नाम नामांकण/पंजीयन/सूचीकरण संख्या सहित)

विभाषण राम (विद्यार्थी का नाम) ACNN PATNA

में नामांकण के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।

3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरे विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता /पाई जाती हूँ।

4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि

ए) मैं किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ूंगा/पड़ूंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।

बी) मैं ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होऊंगा/होऊंगी, न उकसाऊंगा/उकसाऊंगी और न ही प्रचार करूंगा/करूंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।

5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डिक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मैं विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होऊंगा।

6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया हूँ और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यस्त किया जा सकता है।

gali

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : Naveen Kumar

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है -- (स्थान) PATNA उस तिथि को -- दिन 17 माह 01 वर्ष 2017

gali

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि ----- माह ----- वर्ष ----- को शपथपत्र की अंतर्वस्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची II

माता-पिता / अभिवावक द्वारा शपथपत्र

मैं, श्री/श्रीमती/ विनीषाता-शर्मा अभिवावक का पूरा नाम)

हिमालीमा कुमार् नामांकण संस्थान/पूर्वोदर संस्था सहित)

का ACNN (संस्थानिक अभिवावक) में नामांकण के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त की/किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरा पाल्य/मेरी पाल्या के विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता /पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
ए) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ेगा/पड़ेगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होंगे/होगीं, न उकसाएंगे/उकसाएंगीं और न ही प्रचार करेंगे/करेंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मेरा पाल्य/मेरी पाल्या विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होंगे/होगीं।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया है और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यस्त किया जा सकता है।

Bibhusan Ran
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम :

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है - (स्थान) Patna उस तिथि को - दिन 17 - माह 01 - वर्ष 2017

Bibhusan Ran
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि ----- माह ----- वर्ष ----- को शपथपत्र की अंतर्वस्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची ।

विद्यार्थी द्वारा शपथपत्र

मैं, सोनु कुमार

(विद्यार्थी का पूरा नाम नामांकण/पंजीयन/स्वीकरण संख्या सहित)

संस्थान का नाम : बान्नीपी चौधरी (संस्थान का नाम) : ACNN, PATNA

मैं नामांकण के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरे विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता /पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
ए) मैं किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ूंगा/पड़ूंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मैं ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होऊंगा/होऊंगी, न उकसाऊंगा/उकसाऊंगी और न ही प्रचार करूंगा/करूंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मैं विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होऊंगा।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया हूँ और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यस्त किया जा सकता है।

सोनु कुमार

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : सोनु कुमार

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य है तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है - (स्थान) पटना उस तिथि को - दिन 18 माह 01 वर्ष 2017

सोनु कुमार

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि ----- माह ----- वर्ष ----- को शपथपत्र की अंतर्वस्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची II

माता-पिता / अभिवाक द्वारा शपथपत्र

मैं, श्री/श्रीमती/

बाल्मीकि शर्मा

(माता-पिता/अभिवाक का पूरा नाम)

पिता/माता/अभिवाक का पुरा नाम, नामकण/पञ्जीवन/पृथीकरण संख्या सहित) निम्नलिखित

का ACNN (संस्थान का नाम)

में नामांकन के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त की/किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरा पाल्य/मेरी पाल्या के विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता /पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
ए) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ेगा/पड़ेगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होंगे/होगी, न उकसाएंगे/उकसाएंगी और न ही प्रचार करेंगे/करेंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मेरा पाल्य/मेरी पाल्या विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होंगे/होगी।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकन से निष्काशित या वंचित नहीं किया गया है और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकन न्यस्त किया जा सकता है।

बाल्मीकि शर्मा
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम :

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है -- (स्थान) पटना उस तिथि को -- दिन 15 माह 01 वर्ष 2022

बाल्मीकि शर्मा
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि ----- माह ----- वर्ष ----- को शपथपत्र की अंतर्वस्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची ।

विद्यार्थी द्वारा शपथपत्र

मैं

सम्पूर्णानन्द

(विद्यार्थी) का पूरा नाम, नामांकण/पंजीयन/सूचीकरण संख्या सहित)

डा० रामानन्द सिंह

संस्था का नाम: ACNN

में नामांकण के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जाएगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरे विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता /प्राई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
ए) मैं किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ूंगा/पड़ूंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मैं ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होऊँगा/होऊँगी, न उकसाऊँगा/उकसाऊँगी और न ही प्रचार करूँगा/करूँगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डिक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मैं विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होऊँगा।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया हूँ और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यस्त किया जा सकता है।

सम्पूर्णानन्द

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम :

सम्पूर्णानन्द

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है -- (स्थान)

पटना

उस तिथि को

17

दिन

01

माह

2017

वर्ष

सम्पूर्णानन्द

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि ---- माह ---- वर्ष ---- को शपथपत्र की अंतर्वस्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अधिसूची II

माता-पिता / अभिवावक द्वारा शपथपत्र

मैं, श्री/श्रीमती/

(माता-पिता/अभिवावक/ रामानन्द सिंह नाम)

का A (अपना) का नाम में नामांकन के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त की/किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरा पाल्य/मेरी पाल्या के विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता / ~~प्राई~~ जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
ए) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ेगा/पड़ेगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मेरा पाल्य/~~मेरी~~ पाल्या ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होंगे/होगी, न उकसाएंगे/उकसाएंगी और न ही प्रचार करेंगे/करेंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मेरा पाल्य/मेरी पाल्या विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होंगे/होगी।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकन से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया है और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकन न्यस्त किया जा सकता है।

रामानन्द सिंह
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम :

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है - (स्थान) महाराष्ट्र उस तिथि को 17 दिन / 01 माह / 2017 वर्ष

रामानन्द सिंह
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि ----- माह ----- वर्ष ----- को शपथपत्र की अंतर्वस्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची ।

विद्यार्थी द्वारा शपथपत्र

में **ABHISHEK RANJAN**

(विद्यार्थी का पूरा नाम, नामांकण/पंजीयन/सूचीकरण संख्या सहित)

पुरु/पुत्री (श्रेणी) **RAMBHAWAN BAITHA** (संस्थान का नाम) **ACNN**

में नामांकण के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरे विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता /पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
ए) मैं किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ूंगा/पड़ूंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मैं ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होऊंगा/होऊंगी, न उकसाऊंगा/उकसाऊंगी और न ही प्रचार करूंगा/करूंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मैं विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होऊंगा।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया हूँ और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यस्त किया जा सकता है।

Abhishek Ranjan

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : **ABHISHEK RANJAN**

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है -- (स्थान) **PATNA** उस तिथि को -- दिन **17** माह **01** वर्ष **2017**

Abhishek Ranjan
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि ---- माह ---- वर्ष ---- को शपथपत्र की अंतर्वस्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची II

माता-पिता / अभिवाक द्वारा शपथपत्र

में, श्री/श्रीमती/ RAMBHAWAN BAITHA (माता-पिता/अभिवाक का पूरा नाम)

का ABHISHEK RANVAN (संस्थान का नाम) ALNN में नामांकन के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त की/किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरा पाल्य/मेरी पाल्या के विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता /पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
ए) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ेगा/पड़ेगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होंगे/होगीं, न उकसाएंगे/उकसाएंगीं और न ही प्रचार करेंगे/करेंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मेरा पाल्य/मेरी पाल्या विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होंगे/होगीं।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकन से निष्काशित या वंचित नहीं किया गया है और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकन न्यस्त किया जा सकता है।

रामभवन बैठा

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : रामभवन बैठा

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य है तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है - (स्थान) पटना उस तिथि को - दिन 13 माह 01 वर्ष 2017

रामभवन बैठा

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि ----- माह ----- वर्ष ----- को शपथपत्र की अंतर्वस्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची 1

विद्यार्थी द्वारा शपथपत्र

में

शशी भूषण
(विद्यार्थी का पूरा नाम, नामांकण/पंजीयन/सूचीकरण संख्या सहित)

उद्देश/पुत्री श्रेणी/श्रेणी का नाम: यूजीसी रिट संस्थान का नाम: ACNN, PATNA

में नामांकण के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरे विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता / ~~प्राई~~ जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
ए) मैं किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ूंगा/~~पड़ूंगी~~ जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मैं ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होऊँगा/होऊँगी, न उकसाऊँगा/उकसाऊँगी और न ही प्रचार करूँगा/~~करूँगी~~ जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मैं विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होऊँगा।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया हूँ और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यस्त किया जा सकता है।

Shashi Bhushan

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : शशी भूषण

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है -- (स्थान) पटना उस तिथि को -- दिन 17 माह 01 वर्ष 2017

Shashi Bhushan

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि ---- माह ---- वर्ष ---- को शपथपत्र की अंतर्वस्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची II

माता-पिता / अभिवावक द्वारा शपथपत्र

मैं, श्री/श्रीमती/

नक्षत्र सिंह

(माता-पिता/अभिवावक का पूरा नाम)

माता-पिता/अभिवावक शशिबाल कृष्ण नाम, नामांकन क्रम/पूजीयुक्त/पूजीकरण संख्या सहित) 123456789

का (संस्थान का नाम) ACUM में नामांकन के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त की/किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरा पाल्य/मेरी पाल्या के विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता /पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
ए) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ेगा/पड़ेगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होंगे/होगीं, न उकसाएंगे/उकसाएंगीं और न ही प्रचार करेंगे/करेंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मेरा पाल्य/मेरी पाल्या विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होंगे/होगीं।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकन से निष्काशित या वंचित नहीं किया गया है और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकन न्यस्त किया जा सकता है।

नक्षत्र सिंह

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम :

नक्षत्र सिंह

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है -- (स्थान) पटना उस तिथि को -- दिन 18 माह 01 वर्ष 2017

नक्षत्र सिंह

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि ---- माह ---- वर्ष ---- को शपथपत्र की अंतर्वस्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची ।

विद्यार्थी द्वारा शपथपत्र

मैं, AMIT KUMAR

(विद्यार्थी का पूरा नाम, नामांकण/पंजीयन/सूचीकरण संख्या सहित)

उप/पुत्री श्री/श्रीमती NAGESHWAR PRASAD SINGH (संस्थान का नाम) ACNN

में नामांकण के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरे विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता /पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
ए) मैं किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ूंगा/पड़ूंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मैं ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होऊँगा/होऊँगी, न उकसाऊँगा/उकसाऊँगी और न ही प्रचार करूँगा/करूँगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डिक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मैं विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होऊँगा।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया हूँ और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यस्त किया जा सकता है।

Amitkumar

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : Amit kumar

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है -- (स्थान) PATNA उस तिथि को -- दिन 17 माह 01 वर्ष 2017

Amitkumar

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि ----- माह ----- वर्ष ----- को शपथपत्र की अंतर्वस्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची II

माता-पिता / अभिवाक द्वारा शपथपत्र

मैं, श्री / श्रीमती / Nageshwar Prasad Singh का पूरा नाम
(माता-पिता / अभिवाक)

(पिता/माता/अभिवाक) Amik Kumar का पूरा नाम, नामांकण/पंजीकरण/सूचीकरण (संस्था सहित)

का ACNW (संस्थान का नाम) में नामांकण के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त की/किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरा पाल्य/मेरी पाल्या के विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता /पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
ए) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ेगा/पड़ेगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होंगे/होगीं, न उकसाएंगे/उकसाएंगीं और न ही प्रचार करेंगे/करेंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मेरा पाल्य/मेरी पाल्या विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होंगे/होगीं।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया है और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यस्त किया जा सकता है।

नागेश्वर प्रसाद सिंह

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : Nageshwar Prasad Singh

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है - (स्थान) PATNA उस तिथि को - दिन 17 माह 01 वर्ष 2017

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि ----- माह ----- वर्ष ----- को शपथपत्र की अंतर्वस्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची ।

विद्यार्थी द्वारा शपथपत्र

मैं, अर्चना (विद्यार्थी का पूरा नाम नामांकण/पंजीयन/सूचीकरण संख्या सहित)

ACNN

में नामांकण के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरे विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता /पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देती/देता हूँ कि
ए) मैं किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ूँगा/पड़ूँगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मैं ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होऊँगा/होऊँगी, न उकसाऊँगा/उकसाऊँगी और न ही प्रचार करूँगा/करूँगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मैं विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होऊँगा।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकण से निष्काषित या वंचित नहीं किया गया हूँ और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकण न्यस्त किया जा सकता है।

अर्चना

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम : अर्चना

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है -- (स्थान) पटना उस तिथि को -- दिन 18 माह 01 वर्ष 2017

अर्चना

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि ---- माह ---- वर्ष ---- को शपथपत्र की अंतर्वस्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त

अनुसूची 11

माता-पिता / अभिवावक द्वारा शपथपत्र

मैं, श्री/श्रीमती/ शुभमती कुमारी शर्मा (माता-पिता/अभिवावक का पूरा नाम)

पिता/माता/अभिवावक/पुत्र/पुत्री (विवाहों का पूरा नाम, नामांकन/रूपजीवन/सुयोक्त्य संख्या सहित)

का प्राथमिक/मध्यम/उच्च/उच्चतर (संस्थान का नाम) प्राथमिक/मध्यम/उच्च/उच्चतर नामांकन के पश्चात् "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराइयों को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009" (इसके पश्चात् "विनियम" कहा जायगा) की एक प्रतिलिपि प्राप्त की/किया हूँ और उक्त विनियम में अंतर्दृष्ट प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ तथा पूरी तरह समझ लिया/ली हूँ।

- 2) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 3 का मनन किया है और रैगिंग क्या है, इससे परिचित हो गया हूँ।
- 3) मैंने, विशेष रूप से, विनियम की कंडिका 7 और 9.1 का मनन किया है तथा मेरा पाल्य/मेरी पाल्या के विरुद्ध होने वाले दण्डनीय और प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह परिचित हूँ यदि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग को उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा होने का दोषी पाया जाता /पाई जाती हूँ।
- 4) मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा और दृढ़तापूर्वक वचन देता/देती हूँ कि
ए) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या किसी ऐसे कार्य या व्यवहार में नहीं पड़ेगा/पड़ेगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
बी) मेरा पाल्य/मेरी पाल्या ऐसे किसी कृताकृत कार्य में न तो सम्मिलित होंगे/होगी, न उकसाएंगे/उकसाएंगी और न ही प्रचार करेंगे/करेंगी जो विनियम की कंडिका 3 के अन्तर्गत रैगिंग की श्रेणी में आ सकता हो।
- 5) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर, किसी अन्य दण्डक कानून या तत्समय लागू कानून के अनुसार अपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, मेरा पाल्य/मेरी पाल्या विनियम की कंडिका 9.1 के अनुसार सजा का उत्तरदायी होंगे/होगी।
- 6) मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरा पाल्य/मेरी पाल्या रैगिंग को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने के कारण देश के किसी भी संस्थान द्वारा नामांकन से निष्काशित या वंचित नहीं किया गया है और आगे स्वीकार करता हूँ कि यदि घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा नामांकन न्यस्त किया जा सकता है।

शुभमती कुमारी शर्मा
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

नाम :

शुभमती कुमारी शर्मा

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य है तथा शपथपत्र का कोई अंश असत्य नहीं है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा असत्य कथन नहीं कहा गया है।

जहाँ सत्यापित हुई है - (स्थान) पटना - उस तिथि को - दिन 18 माह 01 - वर्ष 2017

शुभमती कुमारी शर्मा
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठापूर्वक स्वीकार किया और मेरी उपस्थिति में तिथि ---- माह ---- वर्ष ---- को शपथपत्र की अंतर्वस्तु को पढ़ने के पश्चात् हस्ताक्षर किया।

शपथ आयुक्त